क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

Ref. No. : 693 / N-13 / 194/ 2024 Date 05/07/2024

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Subject : Regarding joint inspection report in compliance of order passed dated 29-04-2024 in O.A. No. 194/ 2024 Moh. Tasleem & Ors Vs State of Uttar Pradesh and Ors.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 29-04-2024 in the matter mentioned above, the status report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Enclosure : As above.

Your Sincerely

(Ashutosh Chauhan)
Regional Officer

Copy to :

1. District Magistrate, Moradabad.
2. Shri Pradeep Mishra, Learned Counsel for U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. CEO-7, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer

AEE. CORS. JNT

Joint Inspection Report

(30-05-2024 & 29-06-2024)

of

M/S Hamza Hide Company, Mohalla Asalatpura, Bakri Ka Ahata, Near Meena Mosque, Moradabad

In the matter of

Moh. Tasleem & Ors Vs State of Uttar Pradesh and Ors

(O.A. no. 194/2024)

– Prepared by –

The joint committee of Additional City Magistrate-I, Moradabad

and

U.P. Pollution Control Board, Moradabad

Constituted by

Hon'ble National Green Tribunal

(Order dated 29th April, 2024)

Contents

1. पृष्ठभूमि
2. कार्यवाही का विवरण
3. पूर्व में की गयी कार्यवाही का विवरण
4. निष्कर्ष
5. फोटोग्राफ

- **पृष्ठभूमि –**

मो0 तसलीम, नि0 बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद द्वारा मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी (चमड़ा गोदाम) के विरूद्ध घनी आबादी में कच्ची खाल/रॉ हाइड के भण्डारण से हो रही दुर्गन्ध के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त शिकायती पत्र को संज्ञान लेकर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–194/2024 (Moh Tasleem & Ors Vs. State of Uttar Pradesh & Ors) में दिनांक 29.04.2024 को आदेश पारित किये गये है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है–

"......................4. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Moradabad, Uttar Pradesh and direct the same to undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law. The Uttar Pradesh State Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report by the Joint Committee be filed by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

6. In case of non-compliance exemplary costs may be imposed on members of the Joint Committee and also on the nodal agency.

7. List for further consideration on 18.07.2024.

8. A copy of this order be sent to the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Moradabad, Uttar Pradesh by email for requisite compliance..................."

- **कार्यवाही का विवरण –**

1. उक्त आदेशों के अनुक्रम में प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा पत्रांक एच 11222/सी–7/विविध–683/24 दिनांक 21.05.2024 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को नामित किया गया तथा जिलाधिकारी, मुरादाबाद से जिला प्रशासन का प्रतिनिधि नामित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। छायाप्रति **संलग्नक –01** के रूप में संलग्न है।

2. जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा पत्रांक 525/एन–13/194/24/जनरल दिनांक 22.05.2024 के माध्यम से अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मुरादाबाद को जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया गया। छायाप्रति **संलग्नक –02** के रूप में संलग्न है।

3. संदर्भित शिकायती स्थल मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद का अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मुरादाबाद एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण दिनांक 30.05.2024 को शिकायतकर्ता मौ0 तसलीम एवं मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी के प्रोपराइटर श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन (मो0 नं0– 6397022143) की उपस्थिति में किया गया।

4. निरीक्षण के समय पाया गया कि मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद पर मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, चमडा गोदाम का संचालन प्रोपराइटर श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन (जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या – 09AEOPH7930Q1ZM) द्वारा किया जाता है। उक्त गोदाम लगभग 20 X 20 फीट क्षेत्र में अक्षांश 28.829649, देशान्तर 78.777847 पर आवासीय क्षेत्र में स्थापित है। उक्त चमड़ा गोदाम में जानवरों की कच्ची खाल/रॉ हाइड का भण्डारण पाया गया। जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र **संलग्नक–03** पर संलग्न है।

5. उक्त गोदाम में रॉ हाइड को नमक से संरक्षित कर भण्डारित किया जाता है तथा विक्रय का कार्य किया जाता है। रॉ–हाइड के भण्डारण से दुर्गन्ध की समस्या पायी गयी तथा फर्श की धुलाई आदि से जनित उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये सीधे ड्रेन में निस्तारित किया जाता है।

6. उक्त गोदाम के सामने मस्जिद स्थित है तथा आस–पास आवासीय क्षेत्र है। गोदाम के ऊपर प्रथम तल पर गोदाम संचालक का स्वयं का आवास है।

7. निरीक्षण दिनांक 30.05.2024 के उपरान्त उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा पत्र सं0 610/एन–13/194/2024/जनरल दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से उक्त चमड़ा गोदाम के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु संस्तुति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (मुख्यालय), लखनऊ को प्रेषित की गयी। छायाप्रति **संलग्नक – 04** पर संलग्न है।

8. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (मुख्यालय), लखनऊ के पत्रांक एच 2562/सी–7/ विविध–683/25 दिनांक 14.06.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 उक्त गोदाम के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी के प्रोपराइटर श्री आसिफ को व्यक्तिगत रूप से

दिनांक 15.06.2024 को हस्तगत करा दी गयी। जिसका प्रतिउत्तर वर्तमान तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। छायाप्रति **संलग्नक – 05** पर संलग्न है।

9. अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मुरादाबाद एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा संयुक्त रूप से शिकायती स्थल का पुनः निरीक्षण दिनांक 29.06.2024 को शिकायतकर्ता मौ0 तसलीम एवं गोदाम संचालक श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन की उपस्थिति में किया गया।

10. निरीक्षण के समय उक्त चमडा गोदाम में खालों/रॉ हाइड का भण्डारण नही पाया गया, परन्तु चमड़ा गोदाम संचालक श्री आसिफ द्वारा बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 14.06.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में अपना लिखित पक्ष एवं गोदाम में खालों/रॉ हाइड का भण्डारण पुनः न किये जाने के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। जिस कारण उक्त स्थल पर जानवरों की खाल/रॉ हाइड का भण्डारण पुनः प्रारम्भ किये जाने की प्रबल सम्भावना के दृष्टिगत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा पत्रांक 671/एन–13/194/जनरल दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (मुख्यालय) लखनऊ को प्रेषित की गयी है, छायाप्रति **संलग्नक – 06** पर संलग्न है। ।

11. उक्त संस्तुति के आधार पर बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0 एच 13553/सी–7/ओ.ए.नं. 194/24/विविध–683/2024 दिनांक 04.07.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश की प्रति मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी के प्रोपराइटर श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन को दिनांक 05.07.2024 को व्यक्तिगत रूप से हस्तगत करा दी गयी है। छायाप्रति **संलग्नक –07** पर संलग्न है।

- **पूर्व में की गयी कार्यवाही का विवरण –**

12. अग्रेतर अवगत कराना है कि पूर्व में डॉ0 शाहेदीन कुरैशी, नि0 मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, मुरादाबाद द्वारा उक्त वर्णित चमड़ा गोदाम के विरूद्ध शिकायती पत्र दिनांक 06.10.2022 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद में प्रेषित किया गया। उक्त शिकायती पत्र के अनुक्रम में दिनांक 13.10.2022 को निरीक्षणोपरान्त उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा पत्रांक 1256/पी–7/जनरल दिनांक 14.01.2022 के माध्यम से गोदाम संचालक श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन के विरूद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मुरादाबाद के समक्ष प्रेषित की गयी। छायाप्रतियाँ **संलग्नक – 08 व 09** पर संलग्न है।

13. उक्त संस्तुति के आधार पर संदर्भित चमड़ा गोदाम संचालक श्री आसिफ हुसैन के विरूद्ध न्यायालय, अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मुरादाबाद द्वारा वाद सं0 6490/2022 (कम्प्यूटरीकृत वाद सं0 – डी–202213540006490) अन्तर्गत द.प्र.सं. धारा 133 सरकार बनाम श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन दिनांक 01.11.2022 योजित किया गया। वाद के सारांश की छायाप्रति **संलग्नक–10** पर संलग्न है।

निष्कर्ष – मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद द्वारा पूर्व में रॉ–हाइड का भण्डारण व नमक से संरक्षित कर विक्रय का कार्य किया जा रहा था। अद्यतन निरीक्षण दिनांक 29.06.2024 के दौरान पाया गया कि रॉ–हाइड को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। गोदाम संचालक द्वारा मौखिक रूप से रॉ–हाइड का भण्डारण व विक्रय का कार्य उक्त स्थल पर न किये जाने के संबंध में आश्वासन दिया गया है, किन्तु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (मुख्यालय) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.06.2024 का प्रतिउत्तर तथा उक्त स्थल पर रॉ–हाइड का भण्डारण व विक्रय का कार्य पुनः न किये जाने के संबंध में अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा बन्दी की कार्यवाही की संस्तुति दिनांक 01.07.2024 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (मुख्यालय) प्रेषित की गयी। तदोपरान्त उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ (मुख्यालय) द्वारा पत्रांक सं0 एच 13553/सी–7/ओ.ए.नं. 194/24/विविध–683/2024 दिनांक 04.07.2024 के माध्यम से उक्त चमड़ा गोदाम के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश की प्रति मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी के प्रोपराइटर श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन को दिनांक 05.07.2024 को व्यक्तिगत रूप से हस्तगत करा दी गयी है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Preeti Singh	Additional City Magistrate-I, Moradabad	[signature]
Ashutosh Chauhan	Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Moradabad	[signature]
J.N. Tiwari	Assistant Environmental Engineer, U.P. Pollution Control Board, Moradabad	[signature]

अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मुरादाबाद एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का आहाता, निकट मीना मस्जिद, मुरादाबाद के संयुक्त निरीक्षण दिनांक 29.06.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ–

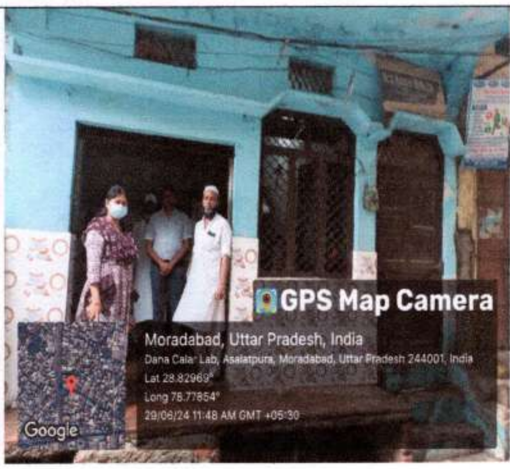

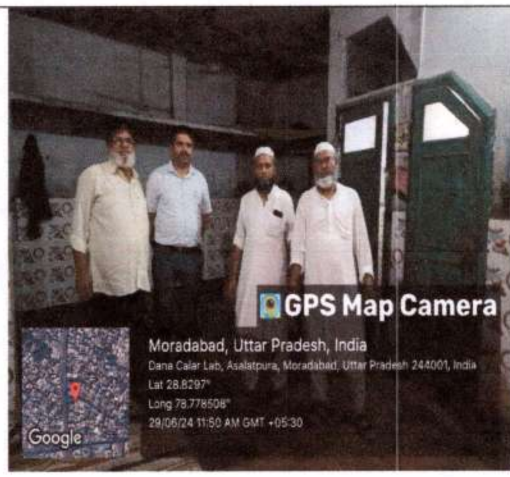

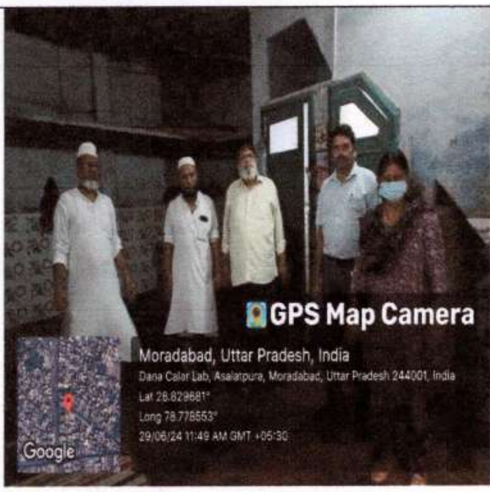

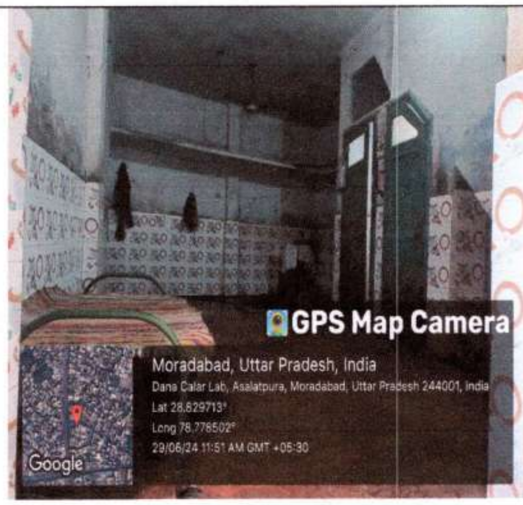

अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मुरादाबाद एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का आहाता, निकट मीना मस्जिद, मुरादाबाद के संयुक्त निरीक्षण दिनांक 30.05.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ –

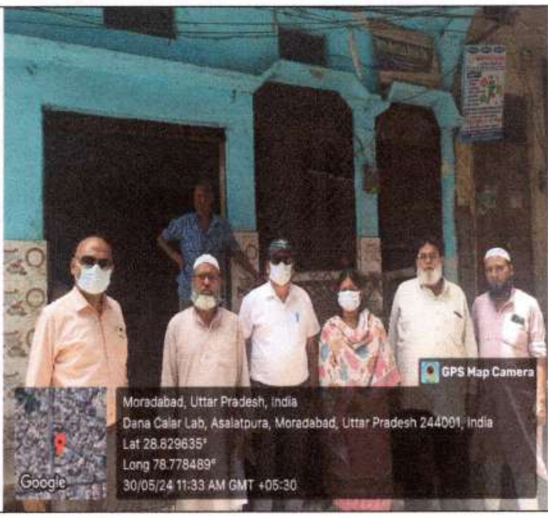

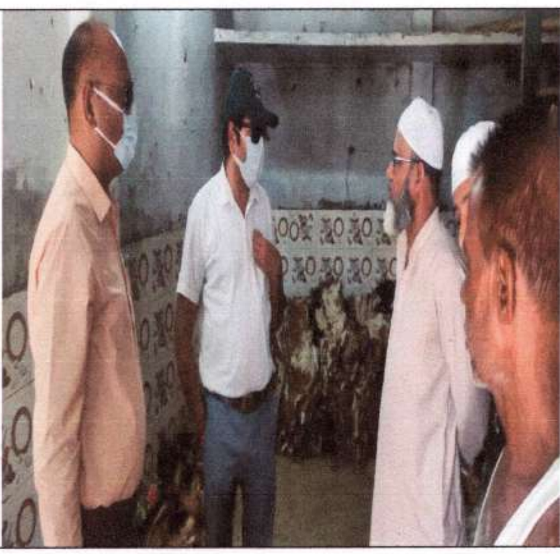

(R.D)

संलग्नक-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्या H/1222 /C-7/ तिनैच-683/24

दिनांक 21/05/24

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

विषयः—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–194/2024 Moh Tasleem & Ors Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–194/2024 Moh Tasleem & Ors Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के निम्नवत् सुसंगत अंश का अवलोकन करने का कष्ट करें :—

5. Factual and Action taken Report by the Joint Committee be filed by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

6. In case of non-compliance exemplary costs may be imposed on members of the Joint Committee and also on the nodal agency.

7. List for further consideration on 18.07.2024.

माननीय अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री आशुतोष चौहान, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद (मो0 नं0–8858321685) को संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया जाता है।

अग्रेतर आपसे अपेक्षा है कि माननीय अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में स्वयं अथवा किसी अन्य सक्षम प्रशासनिक अधिकारी को संयुक्त समिति के निरीक्षण हेतु सदस्य नामित करना चाहें।

भवदीय

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार जिलाधिकारी, मुरादाबाद से समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त समिति के माध्यम से जाँच कराकर ससमय आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

O/C

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-2

कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद

पत्रांक : 525 / N-13 / 194/24/जनरल दिनांक : 22-5-24

अति महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम,
मुरादाबाद।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 संख्या–194/2024 Moh. Tasleem & Ors. Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

अवगत हों कि मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी आहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद में श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन द्वारा चमड़ा गोदाम संचालन के विरुद्ध मौ0 तसलीम द्वारा शिकायत के कम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नवयोजित ओ0ए0 सं0 194/2024 मौ0 तसलीम एण्ड अदर्स बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

" .... 4. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Moradabad, Uttar Pradesh and direct the same to undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law. The Uttar Pradesh State Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report by the Joint Committee be filed by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

6. In case of non-compliance exemplary costs may be imposed on members of the Joint Committee and also on the nodal agency.

7. List for further consideration on 18.07.2024.

8. A copy of this order be sent to the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Moradabad, Uttar Pradesh by email for requisite compliance............"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 द्वारा गठित समिति को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में **अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि के रूप में आपको नामित** करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित प्रतिनिधि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद से समन्वय स्थापित करते हुए स्थलीय जाँच कर मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(मानवेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी

RO, UPPCB

प्रतिलिपि :

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक एच 11222/सी–7/विविध–683/24 दिनांक 21.05.2024 के अनुकम में सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी

RO, UPPCB

DM

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-3

सत्यमेव जयते

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09AEOPH7930Q1ZM

1.	**Legal Name**	ASIF HUSSAIN			
2.	**Trade Name, if any**	M/S HAMZA HIDE CO			
3.	**Constitution of Business**	Proprietorship			
4.	**Address of Principal Place of Business**	BAKRI KA HATA NEAR MEENA MASJID, ASALAT PURA MORADABAD, MORADABAD, Moradabad, Uttar Pradesh, 244001			
5.	**Date of Liability**	01/07/2017			
6.	**Period of Validity**	From	01/07/2017	To	NA
7.	**Type of Registration**	Regular			
8.	**Particulars of Approving Authority**				

Signature	Signature Not Verified Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK 1 Date: 2018.07.28 13:18:18 IST
Name	
Designation	
Jurisdictional Office	
9. Date of issue of Certificate	28/07/2018

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the deemed approval of application on 01/07/2017 .

Scanned with OKEN Scanner

सत्यमेव जयते

Annexure A

GSTIN	09AEOPH7930Q1ZM
Legal Name	ASIF HUSSAIN
Trade Name, if any	M/S HAMZA HIDE CO

Details of Additional Places of Business

Total Number of Additional Places of Business in the State	0

Scanned with OKEN Scanner

Annexure B

GSTIN	09AEOPH7930Q1ZM
Legal Name	ASIF HUSSAIN
Trade Name, if any	M/S HAMZA HIDE CO

Details of Proprietor

1

Name	ASIF HUSSAIN
Designation/Status	proprietor
Resident of State	Uttar Pradesh

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-4

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 610 / N-13/ 194 / 2024 दिनांक 06.06.2024

ई-मेल

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद में श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन द्वारा गोदाम में चमडा के भण्डारण से हो रही दुर्गन्ध के विरूद्ध मौ0 तसलीम द्वारा प्रेषित शिकायत के कम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नवयोजित ओ0ए0 सं0–184/2024 Moh Tasleem & Ors Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 11222/सी–7/विविध–683/24 दिनांक 21.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि जिला प्रशासन एवं इस कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से संदर्भित प्रकरण में शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 30.05.2024 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981यथासंशोधित की धारा 31ए मे निहित प्राविधानो के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय
(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. शिकायतकर्ता मौ0 तसलीम मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी
6/6

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं0 H12562 सी-7/ विविध-683/24 दिनांक:-14-6-24

डायरी न0........

सीरियल न0 .... पंजीकृत

फाइल नं0 H-56 ....

दिनांक 25-6-24

सेवा में,

मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी,
मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता,
निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद

यह कि मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद द्वारा बकरा/बकरी/जानवरों की कच्ची खाल/रॉ हाइड का भण्डारण का कार्य किये जाने हेतु उक्त उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद में श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन द्वारा गोदाम में चमड़ा के भण्डारण से हो रही दुर्गन्ध के विरूद्ध मौ0 तसलीम द्वारा प्रेषित शिकायत के क्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-194/2024 Moh Tasleem & Ors Vs/ State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के अनुपालन में उक्त इकाई का क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक पूर्व में दिनांक 06.06.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार आपकी इकाई मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद सघन आवासीय क्षेत्र में भू-प्रयोग के विरूद्ध संचालित की जा रही है। उक्त गोदाम में खालों/रॉ हाइड को क्रय कर गोदाम में भण्डारित किया जाता है तथा नमक से संरक्षित कर विक्रय किया जाता है। भण्डारण के दौरान अल्प मात्रा में जनित रस (चर्बी) तथा गोदाम स्थल पर फर्श धुलाई से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गई। यद्यपि निरीक्षण के समय गोदाम स्थल पर अशुद्धिकृत उत्प्रवाह एकत्रित नहीं पाया गया तथापि उत्प्रवाह जनित होने की दशा में निस्तारण सीधे ड्रेन के माध्यम से किया जाना संभावित है। निरीक्षण के समय गोदाम में जानवरों की खाल भण्डारित पाई गई, खालों के भण्डारण से निकट में स्थापित मीना मस्जिद तथा आसपास के क्षेत्र में बदबूदार तीव्र दुर्गन्ध की समस्या व्याप्त पायी गई, जिसके नियंत्रण हेतु गोदाम में कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गई है।

उद्योग द्वारा स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रगाणपत्र तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त नही है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मुरादाबाद के पत्र दिनांक 06.06.2024 के दृष्टिगत मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते है -:

1. यह कि क्यों न मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद के संचालन को रोके जाने हेतु बन्दी आदेश जारी कर दिये जाये।
2. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।

24/6/24

..............कृ0पृ0उ0

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

इकाई मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे। निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देशों की पुष्टी करते हुए उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(राम गोपाल)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लूएमडी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कारण बताओ नोटिस को आई0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित को कारण बताओ नोटिस प्राप्त कराकर अनुपालन आख्या प्रेषित करने कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

9897460418
मुरादाबाद
15/6/24

संलग्नक-6

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 671/एन–13/194/जनरल   दिनांक: 01.07.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : मैसर्स हमजा हाइड्ड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद में श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन द्वारा गोदाम में चमडा के भण्डारण से हो रही दुर्गन्ध के विरूद्ध मौ0 तसलीम द्वारा प्रेषित शिकायत के कम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नवयोजित ओ0ए0 सं0– 194/2024 Moh Tasleem & Ors Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 12562/सी–7/विविध–683/24 दिनांक 14.06.2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि जिला प्रशासन एवं इस कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से संदर्भित प्रकरण में शिकायती स्थल का पुनः निरीक्षण दिनांक 29.06.2024 को किया गया है। (निरीक्षण आख्या संलग्न) के अनुसार कि मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए यथासंशोधित अधिनियम मे निहित प्राविधानो के अन्तर्गत नियमानुसार बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय

(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी
1/7

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को उनके संदर्भ सं0 4354/एफ दिनांक 22.05.2024 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. शिकायतकर्ता मौ0 तसलीम मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी
1/7/24

New Complian 2024

Scanned with OKEN Scanner

मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद में श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन द्वारा गोदाम में चमडा के भण्डारण से हो रही दुर्गन्ध के विरूद्ध मौ0 तसलीम द्वारा प्रेषित शिकायत के कम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नवयोजित ओ0ए0 सं0–194/2024 Moh Tasleem & Ors Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के अनुपालन के संबंध में निरीक्षण आख्या–

उक्त संदर्भित शिकायती प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद द्वारा गठित समिति के माध्यम से अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मुरादाबाद एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा संयुक्त रूप से शिकायती स्थल का पुनः निरीक्षण दिनांक 29.06.2024 को शिकायतकर्ता मौ0 तसलीम एवं इकाई प्रतिनिधि श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है –

1. संयुक्त निरीक्षण के समय उक्त चमडा गोदाम जोकि लगभग 20 फीट x 20 फीट अक्षांश 28.829649, देशान्तर 78.777847, मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन (प्रोपराइटर, मो0 नं0 6397022143) द्वारा मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद में जानवरों की कच्ची खाल/रॉ हाइड का भण्डारण का कार्य नही पाया गया। गोदाम पूर्णतः खाली पाया गया।
2. अवगत कराना है कि पूर्व में उक्त चमडा गोदाम को **बोर्ड मुख्यालय के संदर्भ सं0 एच 12562/सी–7/विविध–683/24 दिनांक 14.06.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है**, जिसकी प्रति मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी के प्रोपराइटर श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन को दिनांक 15.06.2024 को व्यक्तिगत रुप से हस्तगत करा दी गयी, जिसकी हस्ताक्षरित रिसीविंग की छायाप्रति इस कार्यालय के पत्रांक 646/एच–58/जनरल दिनांक 20.06.2024 के माध्यम से मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7) को प्रेषित की गयी है।
3. मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी के प्रोपराइटर श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का पक्ष/नोटराइज्ड शपथ पत्र वर्तमान तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया है।
4. निरीक्षण के समय यद्यपि उक्त चमडा गोदाम में खालों/रॉ हाइड का भण्डारण हटा दिया गया है, परन्तु चमड़ा गोदाम संचालक श्री आसिफ द्वारा बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 14.06.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का पक्ष एवं गोदाम में खालों/रॉ हाइड का भण्डारण पुनः न किये जाने के संबंध में पक्ष/नोटराइज्ड शपथ पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया है। जिस कारण उक्त स्थल पर पुनः जानवरों की खाल/रॉ हाइड का भण्डारण किये जाने की प्रबल सम्भावना है।

उपरोक्तानुसार उक्त के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की जाती है एवं चमडा गोदाम के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित अधिनियम मे निहित प्राविधानो के अन्तर्गत नियमानुसार बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

01/7/24
(ए.के शुक्ल)
प्रयो0सहा0

(आकाश जोशी)
प्रयो0सहा0

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

C.S

New Complian 2024

Scanned with OKEN Scanner

सलग्नक - 7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ स0– H13553 /सी–7/O.A.No. 194/24/विविध–683/2024 दिनांकः– 04/07/024

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी,
मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता,
निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद

यह कि मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद द्वारा बकरा/बकरी/जानवरों की कच्ची खाल/रॉ हाइड का भण्डारण का कार्य किये जाने हेतु उक्त उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद के श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन द्वारा गोदाम में चमड़ा के भण्डारण से हो रही दुर्गन्ध के विरूद्ध मौ0 तसलीम द्वारा प्रेषित शिकायत के क्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–194/2024 Moh Tasleem & Ors Vs/ State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के अनुपालन में उक्त इकाई का क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक पूर्व में दिनांक 06.06.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार आपकी इकाई मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद सघन आवासीय क्षेत्र में भू–प्रयोग के विरूद्ध संचालित की जा रही है। उक्त गोदाम में खालों/रॉ हाइड को क्रय कर गोदाम में भण्डारित किया जाता है तथा नमक से संरक्षित कर विक्रय किया जाता है। भण्डारण के दौरान अल्प मात्रा में जनित रस (चर्बी) तथा गोदाम स्थल पर फर्श धुलाई से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गई। यद्यपि निरीक्षण के समय गोदाम स्थल पर अशुद्धिकृत उत्प्रवाह एकत्रित नहीं पाया गया तथापि उत्प्रवाह जनित होने की दशा में निस्तारण सीधे ड्रेन के माध्यम से किया जाना संभावित है। निरीक्षण के समय गोदाम में जानवरों की खाल भण्डारित पाई गई, खालों के भण्डारण से निकट में स्थापित मीना मस्जिद तथा आसपास के क्षेत्र में बदबूदार तीव्र दुर्गन्ध की समस्या व्याप्त पायी गई, जिसके नियंत्रण हेतु गोदाम में कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गई है। उक्त निरीक्षण के क्रम में बोर्ड के पत्र संख्या–एच12562/सी–7/विविध–683/24 दिनांक 14.06.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि बोर्ड पत्र संख्या–एच12562/सी–7/विविध–683/24 दिनांक 14.06.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर उद्योग मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद द्वारा बोर्ड में प्रस्तुत नही किया गया है।

यह कि इकाई का क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.06.2024 के अनुक्रम में निरीक्षण दिनांक 29.06.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय यद्यपि उक्त चमड़ा गोदाम में खलों/रॉ हाइड का भण्डारण हटा दिया गया है, परन्तु चमड़ा गोदाम संचालक श्री आसिफ द्वारा बोर्ड मुख्यालय दिनांक 14.06.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का पक्ष एवं गोदाम में खालों/रॉ हाइड का भण्डारण पुनः न किये जाने के संबंध में पक्ष/नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उक्त स्थल पर पुनः जानवरों की खाल/रॉ हाइड का भण्डारण किये जाने की प्रबल सम्भावना है।

यह कि उद्योग मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद को जारी कारण बताओ नोटिस की क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा पुष्टि की गई है।

..............कृ0पृ0उ0

5/7/2024

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मुरादाबाद के पत्र दिनांक 06.06.2024 एवं दिनांक 01.07.2024 के दृष्टिगत मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते है-

1. यह कि उद्योग मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद के संचालन को रोके जाने हेतु बन्दी आदेश जारी किये जाते है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती कि उद्योग मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद के संचालन से सम्बद्ध समस्त विद्युत कनेक्शनों एवं जल आपूर्ति कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाये।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ की उद्योग मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक/पुलिस अधिक्षक, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ की उद्योग मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद के संचालन हेतु विद्युत कानेक्शनों को तत्काल प्रभाव रोक दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एम0एस0 पोर्टल पर उपलोड किये जाने हेतु से संबंधित को निर्देशित करना चाहेगें।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश से प्रेषित कि उद्योग मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मोहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, मुरादाबाद के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति इकाई को प्राप्त कराते हुए, बन्दी आदेश की अनुपालन आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

AJD
5/7/24
6397022143

संलग्नक - 8

दिनांक:- 06.10.2022.

समक्ष,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई0एन0एस–1 आवास विकास कालोनी,
बौद्ध विहार, दिल्ली रोड, मुरादाबाद ।

डायरी नं0 571
सीरियल नं0 ....
फाइल नं0 ....
दिनांक 10/10/22

विषय – "हमजा हाईड कम्पनी, असालतपुरा, बकरी का अहाता निकट मिना मस्जिद थाना गलशहीद मुरादाबाद के मालिक आसिफ हुसैन पुत्र साबिर हुसैन द्वारा आपके आदेश पत्रांक/572/P7/ जनरल दिनांक 04.12.2020 का उल्लंघन कर पुनः उसी स्थान पर जानवरों की कच्ची खालों का कारोबार कर प्रदूषण फैलाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र" ।

संदर्भ– 1. दिनांक 27.12.2019 को प्रार्थी का रजि0 डाक स0 EU064510094IN उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थी का आपको दिया गया प्रार्थना पत्र।

2. जनसूचना अधिनियम 2005 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के उत्तर में आपके द्वारा प्रयो0 सहा श्री ए0के0 शुक्ला एवं आकाश जोशी की आख्या मय आपके पत्रांक सं0 288/5–10/जनरल दिनांक 27.02.2021

10/10/22

मान्यवार,

निवेदन करना है कि प्रार्थी ने उपरोक्त विषयक संदर्भित संख्या 01 प्रार्थना पत्र आपको प्रेषित किया था जिसके आधार पर सदर्भित 02 जांच आख्या आपके समक्ष प्रस्तुत हुई एवं आपके द्वारा विषयक पत्रांक के माध्यम से हमजा हाईड कम्पनी के मालिक आसिफ हुसैन को भी सूचित कर दिया गया था।

प्रधानमंत्री भारत सरकार के मिशन 'स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत' को चूना लगाने के उद्देश्य से हमजा हाईड कम्पनी के मालिक आसिफ हुसैन ने अपनी कच्ची जानवरों का कारोबार अभी तक आपके उपरोक्त विषयक आदेश की अवहेलना करते हुए अभी तक बन्द नहीं किया है और बराबर चालू रखकर उसी स्थान पर से प्रदूषण फैलाकर स्थानीय गरीब जनता जो इसके गोदाम के पास रहती है उनके स्वास्थ्य से खिलवाड कर शासन एवं प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।

जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने याचिका संख्या 34957/2003 श्रीमती मिथलेश जैन, आगरा बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 13.08.2003 को आवासीय क्षेत्र में चल रही

क्रमशः ......(2)......

व्यवसायिक एवं औद्योगित गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया था जिसके क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 ने अपने शासनादेश संख्या सी0एस089(1)9–आ–3–2003–62 रिट/2003 दिनांक 10.11.2003 समस्त उ0प्र0 के अधिकारियों को आदेशित कर दिया है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि आप अपने विषयक आदेश की कठोर तमील कराने के वास्ते हमजा हाईड कम्पनी के मालिक आसिफ हुसैन का गोदाम सील कर, कठोर जुर्माना लगाते हुए कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न–

1. सदर्भित क्रमांक 01 एवं 02 की छायाप्रतियाँ।
2. विषयक आपके आदेश की छायाप्रति।

प्रार्थी

Qureshi

डा0 मु0 शाहेदीन कुरैशी
असालतपुरा बकरी का अहाता,
निकट मिना मस्जिद, मुरादाबाद।
मो0 नं0 : 9045284855

संलग्नक - 9

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या 1256/पी–7/जनरल

दिनांक 14-10-2022

सेवा में,

अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम,
मुरादाबाद।

विषय : मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद में श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन द्वारा जनवरों की कच्ची खालों का कारोबार कर प्रदूषण फैलाने के विरुद्ध डा0 मौ0 शाहेदीन कुरैशी द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद में श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन द्वारा जनवरों की कच्ची खालों का कारोबार कर प्रदूषण फैलाने के विरुद्ध डा0 मौ0 शाहेदीन कुरैशी द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 06.10.2022, जो इस कार्यालय में दिनांक 10.10.2022 को प्राप्त है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। तत्क्रम में इस कार्यालय द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 13.10.2022 को कराया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। आख्यानुसार गोदाम में पशुओ (बकरे) की खाल को नमक द्वारा संरक्षित कर भण्डारण के कार्य से जनित दुर्गन्ध की रोकथाम हेतु व्यवस्था स्थापित नहीं है एवं गोदाम संघन आबादी वाले क्षेत्र में स्थापित/संचाहलत है, जिससे आस–पास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त के कारण न्यूसेंस की स्थिति बनी हुई है।

अतः गोदाम संचालक के विरूद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : यथोपरि।

मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद में श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन द्वारा जानवरों की कच्ची खालों का कारोबार कर प्रदूषण फैलाने के विरूद्ध डा0 मौ0 शाहेदीन कुरैशी द्वारा प्रेषित शिकायत की निरीक्षण आख्या –

उक्त संदर्भित शिकायती स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 13.10.2022 को इकाई प्रतिनिधि श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है –

1. उक्त गोदाम अक्षांश 28.829649, देशान्तर 78.777847, मैसर्स हमजा हाइड कम्पनी, मौहल्ला असालतपुरा, बकरी का अहाता, निकट मीना मस्जिद, थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद में सघन आवासीय क्षेत्र में भू–उपयोग के विरूद्ध श्री आसिफ हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन द्वारा जानवरों की खाल का भण्डारण का कार्य किया जा रहा है।
2. उक्त गोदाम में जानवरों (बकरे) की खाल को नमक का प्रयोग द्वारा संरक्षित कर भण्डारित किया जाता है। निरीक्षण के समय उक्त गोदाम में जानवरों की खाल का भण्डारण होता पाया गया।
3. निरीक्षण के दौरान उक्त गोदाम में जानवरों की खाल के भण्डारण से दुर्गन्ध की समस्या व्याप्त पायी गयी, जिसके नियंत्रण हेतु गोदाम में कोई व्यवस्था स्थापित नही है।
4. उक्त गोदाम के पूरब दिशा में शिकायतकर्ता डॉ0 शाहेदीन कुरैशी का आवास, पश्चिम दिशा में श्रीमती शहाना का आवास, उत्तर दिशा में 10 फीट की सडक तत्पश्चात् मौ0 शानू की दुकान तथा दक्षिण दिशा में हाफिज मौ0 एजाज का आवास स्थित है।
5. निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधि द्वारा किसी भी विभाग का पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. गोदाम को स्थापनार्थ/संचालन हेतु राज्य बोर्ड से अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। अग्रेतर अवगत कराना है कि गोदाम को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1592/पी–7/जनरल दिनांक 04.12.2020 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर वर्तमान तक अप्राप्त है।

उपरोक्तानुसार गोदाम में जानवरों की खाल के भण्डारण से आसपास के क्षेत्र में दुर्गन्ध की समस्या व्याप्त है, जिससे वातावरण पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है। उक्त के कारण पब्लिक न्यूसेंस की स्थिति होना स्वाभाविक है। अतः गोदाम के विरूद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के अन्तर्गत अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मुरादाबाद को संस्तुति प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

14/10/22
(आकाश जोशी)
प्रयो0सहा0

14/10/22
(ए.के शुक्ल)
प्रयो0सहा0

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

संलग्नक - 10

वाद का सारांश

प्रिंट निकाले

मण्डल: - मुरादाबाद **जनपद:** - मुरादाबाद **न्यायालय:** - अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम)

वाद सं०:	6490/2022	**कंप्यूटरीकृत वाद सं०:**	D202213540006490
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	सरकार , - **बनाम** श्री आसिफ हुसैन , मौ० असालतपुरा बकरी का हाता निकट मीना मस्जिद थाना गलशहीद	**वाद की स्थिति:**	बहस
वाद प्रकृति:	मूल वाद	**दाखिल करने का दिनांक:**	01-Nov-2022
अगला सुनवाई दिनांक:	08-Jul-2024	**अधिनियम, धारा:**	दण्ड प्रक्रिया संहिता , 133
		खाता संख्या:	----
		खसरा संख्या:	----
		क्षेत्रफल:	----

विवरण : **जनपद:**- मुरादाबाद, **तहसील:**- मुरादाबाद, **चालानी रिपोर्ट का दिनाँक:**- 14-Oct-2022, **चालानी रिपोर्ट में अंकित विपक्षीगणों की संख्या:**- 1, **विवादित संपत्ति का विवरण/चौहद्दी:**- जानवरो की कच्ची खालो का कारोबार कर प्रदुषण फैजाने के विरूद्ध डा0 मो० शाहेदीन कुरैशी प्रेषित शिकायत के संबंध में

आर्डर शीट का विवरण

क्र सं0	पिछली सुनवाई तिथि	पिछली नियत कार्यवाही	अगली सुनवाई तिथि	अगली नियत कार्यवाही
1	----	----	25/11/2022	साक्ष्य वादी
2	25/11/2022	साक्ष्य वादी	05/12/2022	साक्ष्य वादी
3	05/12/2022	साक्ष्य वादी	12/12/2022	साक्ष्य वादी
4	12/12/2022	साक्ष्य वादी	26/12/2022	साक्ष्य वादी
5	26/12/2022	साक्ष्य वादी	06/01/2023	साक्ष्य वादी
6	06/01/2023	साक्ष्य वादी	18/01/2023	साक्ष्य वादी
7	18/01/2023	साक्ष्य वादी	20/01/2023	साक्ष्य वादी
8	20/01/2023	साक्ष्य वादी	30/01/2023	साक्ष्य वादी
9	30/01/2023	साक्ष्य वादी	09/02/2023	साक्ष्य वादी
10	09/02/2023	साक्ष्य वादी	23/02/2023	साक्ष्य वादी
11	23/02/2023	साक्ष्य वादी	10/03/2023	साक्ष्य वादी
12	10/03/2023	साक्ष्य वादी	24/03/2023	साक्ष्य वादी
13	24/03/2023	साक्ष्य वादी	06/04/2023	साक्ष्य वादी
14	06/04/2023	साक्ष्य वादी	25/04/2023	साक्ष्य वादी
15	25/04/2023	साक्ष्य वादी	10/05/2023	साक्ष्य वादी
16	10/05/2023	साक्ष्य वादी	22/05/2023	साक्ष्य वादी
17	22/05/2023	साक्ष्य वादी	30/05/2023	साक्ष्य वादी
18	30/05/2023	साक्ष्य वादी	12/06/2023	साक्ष्य वादी
19	12/06/2023	साक्ष्य वादी	28/06/2023	साक्ष्य वादी
20	28/06/2023	साक्ष्य वादी	10/07/2023	साक्ष्य वादी

21	10/07/2023	साक्ष्य वादी	19/07/2023	साक्ष्य वादी
22	19/07/2023	साक्ष्य वादी	03/08/2023	साक्ष्य वादी
23	03/08/2023	साक्ष्य वादी	14/08/2023	साक्ष्य वादी
24	14/08/2023	साक्ष्य वादी	04/09/2023	साक्ष्य वादी
25	04/09/2023	साक्ष्य वादी	18/09/2023	साक्ष्य वादी
26	18/09/2023	साक्ष्य वादी	03/10/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र
27	03/10/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र	16/10/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र
28	16/10/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र	01/11/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र
29	01/11/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र	10/11/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र
30	10/11/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र	28/11/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र
31	28/11/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र	06/12/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र
32	06/12/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र	27/12/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र
33	27/12/2023	निस्तारण प्रार्थनापत्र	04/01/2024	निस्तारण प्रार्थनापत्र
34	04/01/2024	निस्तारण प्रार्थनापत्र	12/01/2024	प्रतिवाद पत्र
35	12/01/2024	प्रतिवाद पत्र	27/01/2024	प्रतिवाद पत्र
36	27/01/2024	प्रतिवाद पत्र	02/02/2024	प्रतिवाद पत्र
37	02/02/2024	प्रतिवाद पत्र	09/02/2024	प्रतिवाद पत्र
38	09/02/2024	प्रतिवाद पत्र	19/02/2024	प्रतिवाद पत्र
39	19/02/2024	प्रतिवाद पत्र	06/03/2024	प्रतिवाद पत्र
40	06/03/2024	प्रतिवाद पत्र	15/03/2024	प्रतिवाद पत्र
41	15/03/2024	प्रतिवाद पत्र	27/03/2024	प्रतिवाद पत्र
42	27/03/2024	प्रतिवाद पत्र	02/04/2024	प्रतिवाद पत्र
43	02/04/2024	प्रतिवाद पत्र	16/04/2024	प्रतिवाद पत्र
44	16/04/2024	प्रतिवाद पत्र	23/04/2024	प्रतिवाद पत्र
45	23/04/2024	प्रतिवाद पत्र	08/05/2024	आदेश हेतु सुरक्षित
46	08/05/2024	आदेश हेतु सुरक्षित	08/05/2024	बहस
47	08/05/2024	बहस	16/05/2024	बहस
48	16/05/2024	बहस	28/05/2024	प्रतिवाद पत्र
49	28/05/2024	प्रतिवाद पत्र	05/06/2024	प्रतिवाद पत्र
50	05/06/2024	प्रतिवाद पत्र	10/06/2024	प्रतिवाद पत्र
51	10/06/2024	प्रतिवाद पत्र	13/06/2024	प्रतिवाद पत्र
52	13/06/2024	प्रतिवाद पत्र	14/06/2024	प्रतिवाद पत्र
53	14/06/2024	प्रतिवाद पत्र	20/06/2024	प्रतिवाद पत्र
54	20/06/2024	प्रतिवाद पत्र	21/06/2024	प्रतिवाद पत्र
55	21/06/2024	प्रतिवाद पत्र	24/06/2024	बहस
56	24/06/2024	बहस	28/06/2024	बहस
57	28/06/2024	बहस	01/07/2024	बहस
58	01/07/2024	बहस	02/07/2024	बहस
59	02/07/2024	बहस	08/07/2024	बहस
60	08/07/2024	बहस	08/07/2024	स्थल निरीक्षण

Disclaimer : उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।